सूचना आयोग की सख्ती

# जेडीए डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार जमानती वारंट से तलब

जयपुर@पत्रिका. राज्य सूचना आयोग ने अपने आदेश की अवहेलना पर सख्ती दिखाई। आयोग ने एक मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-12 के डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार मीणा को 2 मई को सुबह 11 बजे एक हजार रुपए के जमानती वारंट से तलब किया। साथ ही, कहा कि हाजिर नहीं होने पर गिरफ्तार कर पेश किया जाए।

मुख्य सूचना आयुक्त मोहन लाल लाठर ने जयपुर निवासी भुवनेश कुमार गोयल के परिवाद पर यह आदेश दिया। परिवादी ने 2023 में जेडीए के जोन-12 से वाटिका इंफोटेक सिटी के पूर्णता प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना मांगी। सूचना नहीं मिलने पर प्रथम अपील की गई, जिस पर भी कोई जवाब नहीं मिला। राज्य सूचना आयोग ने अक्टूबर 2024 में जेडीए को आदेश दिया कि सूचना दी जाए। इसके बावजूद सूचना नहीं मिलने पर परिवाद दायर किया गया। इस पर 20 मार्च को जेडीए के डिप्टी कमिश्नर को नोटिस जारी कर तलब किया। इसके बावजूद कोई हाजिर नहीं हुआ। सूचना आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित डिप्टी कमिश्नर को दो मई को 11 बजे जमानती वारंट से तलब किया।

## अन्य मामले में मुख्य अभियंता तलब

जयपुर. हाईकोर्ट ने तलब करने के बावजूद अधिकारी के हाजिर नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सख्ती दिखाई। कोर्ट ने अब जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता (प्रशासन) राकेश लुहाड़िया को पांच हजार रुपए जमानती वारंट से तलब कर 7 अप्रेल को हाजिर होने का आदेश दिया। न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ढड्ढा ने परमेश्वर कुमार शर्मा व अन्य की अवमानना याचिकाओं पर यह आदेश दिया।